सं0सं0 :– निग0/सारा(पथ)–15–वि0का0–05–07/2022.....................

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

चूंकि झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री राज कुमार राजेश, अधीक्षण अभियंता(कार्यपालक अभियंता के उत्क्रमित पद), पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा तत्कालीन सहायक प्रबंधक–सह–सहायक अभियंता, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश 10–सह–पठित ज्ञापांक–202, दिनांक–02.02.2017 के द्वारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, जे0एस0बी0 सी0सी0एल0 में सहायक प्रबंधक–सह–सहायक अभियंता के पद पर 27.12.2017 तक पदस्थापित रहे। इस दौरान उनके द्वारा सदर अस्पताल, कोडरमा के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में उल्लेखित है।

अतएव उनके द्वारा बरती गई अनियमितता/लापरवाही के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में क्रमशः श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, हजारीबाग को नियुक्त किया जाता है।

3. श्री राज कुमार राजेश, अधीक्षण अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संकल्प के निर्गत की तिथि से 10 कार्य दिवस के अन्दर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अथवा जैसा संचालन पदाधिकारी आदेश दें, उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका के साथ श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

3/11/25

ज्ञापांक :– निग0/सारा(पथ)–15–वि0का0–05–07/2022..4151(S)..**राँची, दिनांक :–**03/11/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.25

सरकार के विशेष सचिव।